



शपथपत्र  
- 5 JAN 2012  
जिला पंचायत  
सं. 001

NOTARY  
HARSH SINGH  
GOVT. OF UTTARAKHAND  
Reg. No. 10/2003

प्ररूप-26 (नियम 4क देखिए) 11AA 657466

20 राजपुर रोड (अनुसूचित जाति) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग  
आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथपत्र।

मैं रविन्द्र सिंह कटारिया पुत्र स्व० श्री अतर सिंह, आयु 41 वर्ष, जो 115, खुडबुडा  
देहरादून, का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से  
प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ:-

मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय  
किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले  
न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हूँ तो  
वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी)

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ। शून्य
- (ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं है, जिला या जिले लागू नहीं राज्य।  
लागू नहीं
- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध  
(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी आरोपित किया  
गया है। लागू नहीं

Ravinder Singh

- (iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपो) की विरचना की गई लागू नहीं  
 (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गये थे लागू नहीं  
 (vi) क्या कभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं लागू नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ~~उठराया गया है~~ / नहीं उठराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष उठराया गया और दण्डाविष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ शून्य  
 (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है लागू नहीं

- (iii) पुलिस थाना (थाने) राज्य लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं  
 लागू नहीं



- (iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों का) विवरण जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गये थे लागू नहीं

- (vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं... लागू नहीं

स्थान:- देहरादून  
 तारीख:- 09-01-2012

*Raminder Singh*  
 अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 09-01-2012 को सत्यापित किया।

This affidavit is sworn before me  
 by Shri. *Raminder Singh*  
 who is identified by *Adv. Harphool Singh*  
 at Dehradun *Adv. Harphool Singh* 9/1/12

*Raminder Singh*  
 अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

*Harphool Singh*  
 HARPHOOL SINGH  
 Advocate & Notary, D.Dum